424
398
822

परिपत्र

पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/2007–08/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड,
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनःदिनांकः 19, फरवरी–2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2।

शासन ने अधिसूचना संख्या–120/XXVII (8)/वाणिज्य कर (वैट)/2008 दिनांक–13–02–2008 जारी करते हुए (छाया प्रति संलग्न) (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची– II (ख) में निम्नलिखित संशोधन किये जाने से अवगत कराया है।

संशोधन

अनुसूची–II (ख) के कमांक 130 की वर्तमान प्राविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात–

"130, वैल्डिंग इलैक्ट्रोड, वैल्डिंग रौड तथा एल्यूमिनो थर्मिक मिक्सचर (थर्मिट पोर्शन्स)।"

कृपया उक्त अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करे।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृ0प0सं0 3815 /दिनांक उक्तः–
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडीशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
7– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8– ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– श्री वी0के0 वर्मा, विशेष कार्याधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

N. Manish 23/2/08

18/2/2008
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
597 ...25/2/08

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं0 /XXVII(8)/वाणि0 कर (वैट)/ 2008
दिनांक:: देहरादून :: 13 फरवरी, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 130 की वर्तमान प्रविष्टि में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–II(ख) के क्रमांक 130 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी–

"130. वैल्डिंग इलैक्ट्रौड, वैल्डिंग रौड़ तथा एल्यूमिनो थर्मिक मिक्सचर (थर्मिट पोर्शन्स)।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं0 /20/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से, कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस अनुरोध सहित, कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3–गार्ड फाईल हेतु।

8621
15-2-08

आज्ञा से,
(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

New Vigyapti Thermit Portions

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 120/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated/13 February, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

NO. 120/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008

Dehradun :: Dated: 13 February, 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand and as amended from time to time), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in the existing entry at serial no. 130 of Schedule II(B) of The Uttarakhand (Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007.

Amendment

For the existing entry at serial No.130 of Schedule II(B), the following entry shall be substituted-

"130. Welding Electrodes, Welding Rods and Alumino Thermic Mixture (Thermit Portions)."

(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE

New Vigyapti/ Thermit Portions